



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरात्म कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratma Co.)

CIN: U74899DL1963PLC003913

ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर: जिला-श्रीगंगानगर(राज.)

रजिस्टर्ड कार्यालय:-बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-110012

पत्रांक के.रा.फा./जैत/कृषि/10-9/भाग-3(कटाई)/2020-21

दिनांक: 19.02.2021

अल्पकालीन निविदा सूचना

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर, जिला-श्रीगंगानगर(राज.) पर रबी 2020-21 के दौरान बिजाई की गई, जिसमें **सरसों 1050.50 एकड़** व तारामीरा 2.00 एकड़ में बोई गई फसलों की कटाई व गहाई से संबंधित कार्य हेतु फसलवार चकवार सीलबंद अल्पकालीन निविदायें दिनांक: **26.02.2021** को दोपहर **2.00** बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष उसी दिन दोपहर **2.30** बजे खोली जायेगी। उपर्युक्त कार्य के लिए प्रति चक प्रति फसल के लिए अलग-अलग धरोहर राशि 5,000/- (अखरे रुपये पाँच हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, जैतसर, जो कि भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला पर देय हो अथवा राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, जैतसर के खाते (IFSC code SBIN0008251, Account No. 3396 3396 672) में Online Transfer (NEFT/ RTGS) द्वारा स्थानान्तरण करवाया जा सकता है। किसी भी प्रकार की नगद राशि जमा नहीं करवाई जा सकती। निविदा संबंधी जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 तक फार्म के कृषि अनुभाग से व निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रपत्र का विक्रय दिनांक: **26.02.2021** को दोपहर **12:45** बजे तक ही किया जायेगा। निविदा प्रपत्र आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पास बुक व रुपये 2 36.00/(Tander fee 200 + 18% GST) का डिमाण्ड ड्राफ्ट Online Transfer (NEFT/ RTGS) के द्वारा जमा करने के उपरान्त प्राप्त किया जा सकता है।

प्रबंधक(उत्पादन)

कृते निदेशक

निविदा-प्रपत्र

सेवा में

श्रीमान् निदेशक महोदय,
केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर

महोदय,

आपके कार्यालय से जारी निविदा सूचना क्रमांक: **के.रा.फा./जैत./कृषि/10-9/भाग-3(कटाई)/2020-21/दिनांक: 19.02.2021** के क्रम में मैंने आपकी निर्धारित नियम व शर्तों पढ़ व समझ ली है तथा मुझे स्वीकार है। इस बाबत प्रस्तावित दरें प्रति एकड़ निम्नानुसार है। मैं नियम व शर्तों के अनुसार समस्त कार्य पूरा करने के उपरान्त नीरा-गुणा /पल्लर लूंगा।

फसल	खण्ड	चक	क्षेत्रफल एकड़ में	निरा-गुणा/पल्लर लूंगा एवं प्रस्तावित दर रुपये प्रति एकड़ रुपये (अंकों में)	
				नकद पैसा फार्म को दूंगा, व अपने थ्रेसर से थ्रेसिंग करूंगा।	नकद पैसा फार्म से लूंगा, व अपने थ्रेसर से थ्रेसिंग करूंगा।
सरसों	1	1 बी.जी.डी.-ए	109.00		
		1 बी.जी.डी.-बी	118.50		
		3 बी.जी.डी.	121.00		
		3 बी.जी.डी. पीवोट	50.00		
		1 बी.जी.एम.	110.50		
Total			509.00		
सरसों	2	2 एस.ए.डी.	114.00		
Total			114.00		
सरसों	3	1-5 एम.जी.एम.	42.00		
		7 एस.ए.डी.	116.00		
		आई.डब्ल्यू.एम.-1	102.00		
		9-10 एस.ए.डी.	167.50		
Total			427.50		
G.Total			1050.50		

फसल	खण्ड	चक	क्षेत्रफल एकड़ में	निरा-गुणा/पल्लर लूंगा एवं प्रस्तावित दर रुपये प्रति एकड़ रुपये	
				नकद पैसा फार्म को दूंगा, व अपने थ्रेसर से थ्रेसिंग करूंगा।	नकद पैसा फार्म से लूंगा, व अपने थ्रेसर से थ्रेसिंग करूंगा।
तारामीरा	1	1 बी.जी.एम.	1.00		
तारामीरा	3	7 एस.ए.डी.	1.00		
G.Total			2.00		

अतः आपसे निवेदन है कि मुझे कायादेश जारी करने का श्रम करें। मैं निर्धारित नियम व शर्तों के अनुसार कार्य पूरा कर दूंगा।

भवदीय

हस्ताक्षर
नाम
पिता का नाम
पता
मोबाईल नं०.....
पेन नम्बर.....

रबी फसलों की कटाई एवं गहाई की नियम व शर्तें
(सरसों व तारामीरा के लिए)

1. प्रत्येक निविदादाता को निविदा में भाग लेने से पूर्व प्रत्येक चक प्रत्येक फसल के लिए ₹0 5000/ – (₹0 पांच हजार मात्र) धरोहर राशि का डिमान्ड-ड्राफ्ट जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक बाजूवाला पर देय हो अथवा निगम के खाते में Online Transfer (NEFT/ RTGS) द्वारा स्थानान्तरण करवाया जा सकता है। प्रत्येक चक की निविदा अलग-अलग चकवार व फसलवार करवाई जायेगी।
2. निविदा सूचना में वर्णित फसलों की हाथ से कटाई करना, कटी फसल को सूखने पर एकत्र कर प्रति एकड़ दो से तीन बड़े-बड़े ढेर/मण्डली लगाना। मण्डली के स्थान की सफाई करके ही मण्डली व्यवस्थित ढंग से लगानी होगी। ठेकेदार को अपने निजी थ्रेसर से अपने मजदूर लगाकर गहाई कार्य कराना होगा व दाना फार्म के साधन में लोड करना होगा।
3. यदि ठेकेदार फसल के ऐरिया की राशि जमा करने के आधार पर निविदा देता है तो निविदा स्वीकृत होते ही तुरन्त समस्त राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करवानी होगी। 50 प्रतिशत राशि जमा होने पर स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत राशि जमा करने के बाद ही नीरा/पल्लर उठाने की अनुमति दी जायेगी।
4. प्रत्येक चक की फसल की, सम्बंधित चक प्रभारी एवं खण्ड प्रभारी की देख-रेख व दिशा निर्देश के अनुसार ही, कटाई व गहाई का कार्य करना होगा, एवं जिन मुरब्बों में खरपतवार है वहाँ पर भी चक प्रभारी एवं खण्ड प्रभारी की दिशा निर्देशानुसार कटाई आवश्यकतानुसार ऊपर से करनी होगी।
5. गहाई (थ्रेसिंग) की गयी फसल का नीरा पूर्णतया दाना रहित होना चाहिए एवं थ्रेसर के आरपीएम भी चक प्रभारी व खण्ड प्रभारी के दिशा निर्देशानुसार रखने होंगे ताकि दाना नीरा गुना में न जाये तथा उसका बकाया पूरा पैसा जमा होने पर एवं मुरब्बा पुरा थ्रेसिंग होने के बाद संतोषजनक कार्य होने पर ही गेट-पास जारी कर नीरा-गुणा ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
6. प्रत्येक मुरब्बे में फसल कटाई/गहाई का कार्य फसल के परिपक्व अवस्था में आने पर शीघ्र ही पूरा करना होगा।
7. जिस मुरब्बे में गहाई का कार्य पूरा हो जायेगा, उस मुरब्बे से तूड़ी, नीरा, पल्लर को सात दिन में हर हालत में उठाना होगा, अन्यथा खरीफ फसलों की बुवाई के लिए पलेवा समय पर करवाने के लिए नीरा, तूड़ी पल्लर को जला दिया जायेगा। जिसके नुकसान की पूरी जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
8. यदि ठेकेदार आवंटित कार्य करने में विलम्ब करता है अथवा कार्य नहीं करता है तो उस दशा में फार्म को यह अधिकार होगा कि आवंटित कार्य फार्म ठेकेदार की जोखिम एवं लागत पर पूरा करवाएगा जिस पर आने वाला खर्च ठेकेदार से वसूल /भरपाई किया जायेगा। तथा उसका नाम काली सुची में दर्ज कर दिया जायेगा।
9. किसी भी ठेकेदार द्वारा फार्म की फसलों को या फार्म की सम्पत्ति को अगर नुकसान पहुँचाया जाता है अथवा ठेके के कार्य करने में विलम्ब करता है तो उस ठेकेदार का ठेका रद्द कर उसके द्वारा समस्त जमा राशि, धरोहर राशि, अन्य देय राशि व तूड़ी, नीरा पल्लर जब्त लिया जायेगा।
10. ठेकेदार को समस्त कार्य सन्तोषजनक ढंग से पूरा करने के बाद ही उसकी जमा धरोहर राशि वापस की जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
11. स्वीकृति आदेश जारी होने के उपरांत उसे 100/– रूपए के गैर न्यायिक स्टाम पेपर अनुबंधन हेतु इस कार्यालय को पस्तुत करना होगा। इसके उपरांत कार्य आदेश जारी किया जायेगा।
12. सभी प्रकार की वैधानिक देयता ठेकेदार की होगी।
13. यदि किसी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय-समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जानें से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

प्रबन्धक(उत्पादन)
कृते निदेशक